

विकास पथ

विकास पथ

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. की राजभाषा पत्रिका

सितम्बर-2013



विकास पथ


लक्ष्य

मुंबई उपनगरीय खंड में यात्रियों के उपयोग के लिए आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने हेतु कुशल, सुरक्षित एवं निरंतर चलने वाली रेल प्रणाली के लिए विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना ।

उद्देश्य

- मुंबई के लिए शहरी विकास योजना सहित उपनगरीय रेल क्षमता वृद्धि योजना एकीकृत करना तथा निवेश प्रस्तावित करना ।
- मुंबई उपनगर खंड में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का क्रियान्वयन ।
- उपनगरीय रेल विकास के लिए निधि के सृजन के लिए मुंबई क्षेत्र में रेलवे भूमि तथा एयरस्पेस का वाणिज्यिक उपयोग ।
- परियोजना प्रभावित लोगों का पुनःस्थापन एवं पुनर्वसन ।

विकास पथ

संरक्षक मंडल	क्र. सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
श्री राकेश सक्सेना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1.	संपादकीय एवं मुराधि का संदेश	
श्री आर.एस. खुराना निदेशक (परियोजना)	2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	3
श्री नरेश चंद्र निदेशक (तकनीकी)	3.	व्यस्त भी रहें व्यवस्थित भी रहें	4
श्री एन.एम. मिश्रा निदेशक (वित्त)	4.	कॉर्पोरेशन की उपलब्धियां और गतिविधियां	6
	5.	जियो हजारों साल	8
	6.	हमारी रचनाएं	9
	7.	नन्ही कलम से	9
	8.	हँसना मना है	12
संपादक मंडल	9.	महापुरुषों के विचार	12
सुश्री अलका मिश्रा मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी श्रीमती कीर्ति वि. परांजपे राजभाषा अधिकारी	10.	राजभाषा नीति व नियमों का अनुपालन	13

संपादकीय

विकास पथ

राजभाषा सप्ताह के अवसर पर 'विकास पथ' राजभाषा पत्रिका आपको सौंपते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा से जुड़े कार्यों में आपके सहयोग के कारण हमें पिछले वर्ष अच्छे कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा समिति, मुंबई उपक्रम का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, आप सबको बधाई। संचार और सुसंवाद की दृष्टि से गृह पत्रिका एक उत्तम माध्यम है, कॉर्पोरेशन के क्रिया-कलापों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी, स्वरचित रचनाएं, इसमें शामिल कर इसे भविष्य में अधिक रोचक और पठनीय बनाएं।

पत्रिका के बारे में आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।

(कीर्ति परांजपे)

राजभाषा अधिकारी
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.

मुख्य राजभाषा अधिकारी का संदेश

मुख्य राजभाषा अधिकारी के पद का कार्यभार संभालने के साथ, मैं भी राजभाषा की कड़ी से जुड़ गई हूँ, मुझे प्रसन्नता है कि 'विकास पथ' पत्रिका के माध्यम से आपके साथ संपर्क करने का मौका मुझे मिला। मैं समझती हूँ कि राजभाषा नीतियों का अनुपालन करना हम सभी का संवैधानिक दायित्व है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में राजभाषा को इसके साथ जोड़ने के लिए हमें निरंतर कोशिश करने की नितांत आवश्यकता है, आशा करती हूँ कि आप सभी मिलजुल कर इन प्रयासों को सार्थक बनाएंगे।

(अलका मिश्रा)

मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं
मुख्य कार्मिक अधिकारी
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.

विकास पथ



संदेश

साथियों,

हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह के अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं ।

14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर घोषित किया था इस ऐतिहासिक दिवस के उपलक्ष में प्रतिवर्ष हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं । हिंदी देश के सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा है, यह हमारी पहचान है, परंतु यह भी सत्य है कि आजादी के बाद से निरंतर प्रयासों के बावजूद इसे पूर्ण रूप से राजभाषा का सम्मान नहीं मिल पाया है, कारण कुछ भी हों परंतु एक सरकारी सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि सरकारी नियमों की भांति हम सरकार द्वारा हिंदी भाषा को उचित स्थान देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से संबंधित नीति निर्देशों का यथा संभव पालन करें ।

प्रसार की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इसका प्रयोग दिखाई देना चाहिए, अतः दिखावट और श्रेष्ठता के प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी जैसी भाषा के प्रयोग के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाए । जटिल और तकनीकी स्वरूप के कार्यों में रुकावट पैदा न करे परंतु सामान्य स्वरूप के कार्य जैसे रजिस्टर, डायरियों, फाईलों के विषय, लिफाफों पर पते, रजिस्टर, डायरियों में की जाने वाली प्रविष्टियां, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, छुट्टी के आवेदन, दौरा कार्यक्रम, मानक फार्म, बैठकों में की जाने वाली चर्चा, कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले एक जैसे रोजमर्रा कार्य, ई-मेल आदि ऐसे माध्यम हैं जहां भाषा दिखाई देती है और हिंदी के प्रयोग में भी कोई कठिनाई नहीं होती वहां हम हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें तो भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है ।

इसके बाद जो कर्मी हिंदी में प्रवीण हैं, उन्हें अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । जो कर्मचारी कामचलाऊ हिंदी जानते हैं स्थाई स्वरूप के कार्य आवश्यक रूप से हिंदी में ही करें । हमारे यहां कंप्यूटर और उसके साथ हिंदी में कार्य करने की पूरी व्यवस्था है, इसका पूरा लाभ उठाया जाए । इतनाभर करने से राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में वृद्धि होगी और कम से कम राजभाषा का अस्तित्व दृढ़ने जैसी परिस्थिति कहीं नहीं रहेगी, देखा देखी हिंदी का प्रयोग बढ़ता जाएगा ।

कर्मचारियों को इसी दिशा में प्रोत्साहित करने हेतु हम प्रतिवर्ष हिंदी सप्ताह मनाते हैं । हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर आईए हम सब संकल्प करें कि जो प्रयास हम कर रहे हैं उससे बेहतर प्रयास करें, खुद पहल करें और राजभाषा के प्रति मन में उमंग को सदा जीवित रखें ।

धन्यवाद, जय हिंद

(राकेश सक्सेना)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.

विकास पथ

व्यस्त भी रहें व्यवस्थित भी रहें

व्यस्तता और अस्त-व्यस्तता के बीच एक झीनी सी रेखा खिंची हुई है। व्यस्तता का तात्पर्य है – जो भी किया जा रहा कार्य है, उसे उपयुक्त ढंग से करना और अस्त-व्यस्तता का मतलब है – उसे बिखरे और बेढब तरीके से करना। व्यक्ति जब बंटा होता है तो वह अस्त – व्यस्त होता है, पर यह भी एक सच्चाई है कि ऊपर से व्यस्त दिखने वाला व्यक्ति अंदर से बंटा-बिखरा भी हो सकता है। जब सामंजस्य एवं क्षमता का सुरुचिपूर्ण संयोग घटित होता है तो उसे व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था के द्वारा ही अस्त –व्यस्तता को दूर किया जा सकता है।

व्यस्तता विशुद्ध रूप से एक नित्यप्रति की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति बाहरी रूप से अपने सभी कार्यों को समय के साथ संपादित करता हुआ दिखाई देता है। समय से उठना, समय से ही अपने दैनिक कार्यों को शुरू करना, समय से अपने कर्तव्य-क्षेत्र में पहुंचना एवं वापस अपने घर लौट आना। इस दैनिक कार्य में व्यक्ति अपने निजी एवं व्यवसायिक कार्य में अति व्यस्त रहता है, परंतु डेविडसन ने अपनी किताब 'अफेक्टिव लाइफस्टाइल' में प्रश्न खड़ा किया है कि क्या जो लोग बाहर व्यस्त होते हैं, वे आंतरिक रूप से व्यवस्थित होते हैं या बंटे और बिखरे होते हैं? क्या उनके मन एवं भावना के बीच संबंध स्थापित रहता है, वे भावनात्मक रूप से संतुष्ट एवं बौद्धिक रूप से संतुष्ट होते हैं?

डेविडसन का यह प्रश्न चुनौतीपूर्ण एवं विचारणीय है; क्योंकि व्यस्तता का मतलब सुव्यवस्था नहीं है। व्यस्त होना ठीक है, परंतु इतने मात्र से व्यक्ति के अंदर क्षमता का विकास नहीं होता। व्यस्त व्यक्ति जीवन में रचनात्मक विकास कर सकता है या नहीं, उस पर कई प्रश्नचिन्ह लगते हैं। इस संबंध में जेम्स ग्रास का कहना है कि व्यक्ति को विकसित होने के लिए व्यस्त होने की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी उसे व्यवस्थित होने की। व्यवस्था अपने अंदर एक मधुर सामंजस्य बनाए रखती है। व्यवस्था सामंजस्य एवं क्षमता का सुयोग एवं संयोग है अर्थात् व्यक्ति के अंदर अपने विभिन्न घटकों के बीच सुरुचिपूर्ण सामंजस्य घटित होता है तो ही वह अपने अंदर की नैसर्गिक क्षमता का समुचित सदुपयोग कर पाता है।

इन्सान यदि अंदर से बंटा, बिखरा एवं विभाजित हो तो वह कैसे अपने अंदर की क्षमता को अभिव्यक्त कर सकता है। क्षमता को अभिव्यक्त करने से पहले आवश्यक है कि व्यक्ति अपने विचारों एवं कल्पनाओं की तरंगों में उड़ता-बहता न रहे, बल्कि उन पर नियंत्रण करके इसका उपयोग करना सीखे। विचारों से बंटा व्यक्ति किसी विषय विशेष पर केंद्रित नहीं हो सकता। उसकी चिंतन प्रक्रिया आवारा बादलों के समान इधर-उधर उड़ती-भटकती रहती है। भावनाएं अस्थिर एवं असंतुलित होती हैं। विचार एवं भावनाओं के बीच एक गहरा द्वंद्व पैदा हो जाता है इस द्वंद्व के परिणामस्वरूप जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

प्रख्यात मनोचिकित्सक जॉन ग्रिल्विन के अनुसार व्यस्त व्यक्ति के अंदर भी द्वंद्व पैदा हो सकता है; क्योंकि व्यस्त व्यक्ति अपने बाहरी क्रियाकलापों के बीच क्रियारत रहता है, पर आंतरिक रूप

विकास पथ

से वह मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व से घिरा हो सकता है। यह द्वंद्व हमारी बेशकीमती ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी क्षमता मुरझा जाती है और विकास के अनगिनत आयाम बिखर जाते हैं। ग्रिल्विन का कहना है कि इस द्वंद्व से उबरने का एक मात्र उपाय है अपने अंदर सामंजस्य एवं समरसता पैदा की जाए ताकि मानसिक एवं भावनात्मक ऊर्जा का संरक्षण एवं सुनियोजन हो सके। ऐसा होने पर ही क्षमता का समुचित सदुपयोग संभव है और यही व्यवस्था है, सही मायने में जीवन तभी व्यवस्थित होता है। जब जीवन व्यवस्थित हो जाता है तो विचार, कल्पना एवं भावनाओं में सामंजस्य पैदा हो जाता है।

व्यस्तता और व्यवस्था में अंतर है व्यस्त व्यक्ति देखने में सभ्य एवं सुसंस्कृत लगता है, लेकिन अपने निजी जीवन में इतने गहरे अवसाद, कुंठा एवं द्वंद्व के भंवर में फंसा हुआ हो सकता है कि वह इस मानसिक परेशानी से उबरने के लिए नशे एवं अन्य कृत्यों का सहारा लेने लगता है। अगर वह सफल है तो उस सफलता को क्या किया जाए, जिसमें उसका स्वयं का जीवन संकट में पड़ा दीखता है। उनके वैचारिक एवं भावनात्मक सामंजस्य का निष्कर्ष, क्षमता की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं निकलता और यही वजह है कि कुछ प्रसिद्ध कलाकार, संगीतकार, उद्योगपति आत्महत्या करने के लिए विवश होते हैं।

अपने विशिष्ट क्षेत्र में विख्यात तो हुआ जा सकता है परंतु व्यक्तित्व संतुलित हो, जीवन सुव्यवस्थित हो, यह जरूरी नहीं है। प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी जीवन असंतुलित और अव्यवस्थित रहता है। यदि ऐसा न होता तो उच्च शिक्षित एवं कॉर्पोरेट सेक्टर के मूर्धन्य, संपन्न एवं विद्वान व्यक्ति मनोरोगी नहीं होते। बड़े ही व्यस्त एवं सामाजिक व आर्थिक मानदण्डों के आधार पर बहुत सफल कहे जाते हैं, फिर आखिर ऐसा क्यों होता है।

इसके जवाब में कहा जा सकता है कि व्यस्त कहे जाने वाले व्यक्तियों के बीच आंतरिक व्यवस्था के अभाव में एक गहरा द्वंद्व पैदा हो जाता है। यह गहरा द्वंद्व उनकी बाह्य व्यस्तता के बीच आंतरिक अव्यवस्था को जन्म देता है। इससे उनकी बाह्य सफलता उनके निजी एवं सामंजस्य के बोध को पैदा नहीं कर पाती है। सफल, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित होने के बावजूद हम अपने स्वयं के जीवन में भयानक विषाद एवं उससे प्राप्त सफलता से आंतरिक जीवन का सामंजस्य व्यवस्थित नहीं हो पाता है, विचार एवं भावनाओं में सुमेल नहीं हो पाता है और विसंगतियां पैदा होती हैं।

अतः इन विसंगतियों को दूर करके ही एक सुरुचिपूर्ण एवं संगीतमय व्यवस्था का जीवन में समावेश किया जा सकता है, जो अस्त-व्यवस्था के साथ व्यक्ति की व्यस्तता के कंटकों को दूर कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि यदि हम जीवन में सुख-शांति एवं प्रफुल्लता चाहते हों तो व्यवस्थित रूप से व्यस्त रहना सीखें। यही जीवन जीने की कला का मूलभूत सिद्धांत है।

साभार, अखंड ज्योति

कॉर्पोरेशन की उपलब्धियां और गतिविधियां

विकास पथ



दिनांक 21.7.2013 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई (उपक्रम) की 51वीं बैठक में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए एमआरवीसी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार ग्रहण करते हुए निदेशक (परियोजना), मुख्य राजभाषा अधिकारी/मु.परिचा.प्र. और राजभाषा अधिकारी

विकास पथ



अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए रा.भा. कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के हाथों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए कार्यालय अधीक्षक (परियोजना), श्री गिरीष कुमार यादव





अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए रा.भा. कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के हाथों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए कार्यालय अधीक्षक, भंडार, श्री डी. चेतैन्या ।

विकास पथ

जियो हजारों साल

कर्मचारी कल्याण गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को जन्म दिवस के बधाई संदेश दिए जाते हैं जिससे एक पारिवारिक भावना पनपती है ।



हमारी रचनाएं

॥ न खोना ईमान ॥

सच और साहस मन में रखकर अबके यह विचार कर
सत्य निष्ठा अपना ले, और खत्म भ्रष्टाचार कर ।

तलवारों से हथियारों से यह रावण न मर पाएगा
शब्दों के कुछ बाण चलाकर भ्रष्टों को लाचार कर ।

बेईमानी के पतझड़ से यह गुलशन वीरां है अपना
सच्चाई के फूल खिलें अब, पैदा ऐसी बहार कर ।

दौलत की लालच में पड़ के ईमान अपना ना खोना
रिश्वत के प्रस्ताव को तू हरदम ही इन्कार कर ।



कलीम उल्लाह आदमजी
लिपिक, एमआरवीसी

नन्ही कलम से

कैरी

कैरी रहती है बहुत खट्टी,
पेड़ से नीचे गिरते वक्त,
उसे लग जाती है मिट्टी,
कैरी से बनता है,
अचार, जूस और बहुत कुछ,
कैरी इस देश में तेरा बहुत है नाम,
पर हम बुलाते हैं तुझे 'आम' !
कैरी का असली मजा उसे,
नमक लगाकर ही आता है ।
कैरी तेरा स्वाद बच्चों को बहुत ही
भाता है ।



- मृण्मयी गोसावी

॥ दूर करेंगे भ्रष्टाचार ॥

भ्रष्टाचारी तूने देश को खोकला कर डाला ।
देश के गरीबों को जीते जी मार डाला ॥

पैसा खाने की हवस दिन-बदिन बढ़ती रही ।
जमाखोरी की लत शराब सी चढ़ती रही ।

देश की उन्नति एक सपना बनके रह जायेगी ।
अगर भ्रष्टाचारियों की पैदावार ऐसे ही बढ़ती जायेगी ॥
हर एक व्यक्ति महानताकी मिसाल हो ये जरूरी नहीं ।
पर खुद की नजरों से गिरे, तो उठानेवाला कोई नहीं ॥
एक ही जनम मिला है, उसे बरबाद ना कर ।
एक बार खो गई इज्जत, पाने में बीत जाती है उमर ॥

अगर मन में हो देश के प्रति आदर और सच्चा प्यार ।
चलो आज ये प्रण करें, घूस न देंगे, घूस न लेंगे, दूर करेंगे भ्रष्टाचार ॥



- वैशाली गोसावी

॥ सायों की साजिश ॥

मेरे साये मुझसे मेरे होने की गवाही माँगे
हम सफर रेंगते हैं, जमी पर मेरा अक्स लिये ।

अब क्या ज़ख्मों की दुहाई माँगे,
मेरे साये मुझसे मेरे होने की गवाही माँगे ॥

मुझसे जन्म, दौड़ते रहे जवानी की धूप में,
शामे-ए-जिन्दगी में मुझसे लम्बे हो चले हैं मेरे साये ।

अंधेरे दूढ़ते हैं रिश्तों की जमा पूंजी,
नज़र अब नहीं आते मेरे साये ॥

वह देखो इन्सानियत का जनाज़ा
मौका परस्तों के कांधे पे सवार,
धडियाली आंसू बहा रहा है
कब्र पर मेरी बरबादी का जश्न मना रहा है ॥

सजदा करो, ये इन्सानियत का मरघट है
काँपते अक्स चिताओं पर यहाँ ,
अरमान जलाए जाते हैं
रिश्ते भुनाए जाते हैं

बरबादी –ए- जश्न मनाए जाते हैं
राही, गम न कर “कारवां” के बिछड़ जाने का
बहारें फिर आएगीं, वक्त आएगा मुस्कराने का
कह दो अतीत के सायों को
सूरज को डूबने का भय नहीं होता
सूर्य का क्षय नहीं, उदय होता है ॥



गिरीश कुमार यादव
कार्यालय अधीक्षक (कार्य)
एम.आर.वी.सी/मुंबई

हँसना मना है

हिंदी मेरी हिंदी

नेताजी ने भाषण शुरू करते हुए कहा,
“लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को
हिंदी बहुत कम आता है ।
हिंदी से मेरा वास्ता उसी माफिक है
जैसा हमारा अपनी वाइफ से है ।
हम उससे बहुत लव करता है,
लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं है ।”

महापुरुषों के विचार

1. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है । – महावीर प्रसाद द्विवेदी
2. हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना चाहिए । – रविशंकर शुक्ल
3. किसी राष्ट्र की राजभाषा वही भाषा हो सकती है जिसे उसके अधिकाधिक निवासी समझ सके । – आचार्य चतुरसेन शास्त्री
4. भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है । इसलिये हिंदी सबकी साझा भाषा है । – पं. कृ. रंगनाथ पिल्लयार
5. भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है । इसलिये हिंदी सबकी साझा भाषा है । – पं. कृ. रंगनाथ पिल्लयार
6. है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी । – मैथिलीशरण गुप्त

राजभाषा नीति व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में

विकास पथ

राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के कतिपय महत्वपूर्ण बिंदुओं जिनका अनुपालन केंद्र सरकार के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्न प्रपत्र द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं । किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर प्रपत्र जारी करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाए :-

1. संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी के द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं,
 2. संसद के किसी सदन के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए,
 3. केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए । विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रमाणित अनुवाद तैयार कराके रिकार्ड के लिए फाईल में रखे जाएं ।
 3. विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी में बनवाए जाएं ।
 4. राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 5 के पालन में हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाएं । जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्र आदि जारी होता है स्वयं उसकी यह जिम्मेदारी होती है यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा किसी आवेदन, आभ्यावेदन में हिंदी में हस्ताक्षर किया गया है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए ।

विकास पथ

5. सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/निगमों/अधीनस्थ कार्यालयों की वेब साइट द्विभाषी तैयार की जाए व नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन भी द्विभाषी हो । वेब साइट का अद्यतन करते समय भी यह विशेष ध्यान दिया जाए कि वेब साइट की हिंदी साइट भी अंग्रेजी के समान अद्यतन हो ।
6. हिंदी के समाचार पत्रों में केवल हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं ।
7. कंप्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड एनकोडिंग का प्रयोग किया जाए ।
8. राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में गहन प्रयास किए जाएं ।
9. केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों व बैंकों द्वारा तिमाही रिपोर्ट को ऑन लाइन भेजने की व्यवस्था की गई है । यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालयों, विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों, बैंकों उपक्रमों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से ऑन लाइन भेजी जा रही है ।
10. मंत्रालयों, विभागों आदि द्वारा सरकारी कामकाज के प्रयोग के लिए बनवाए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर हिंदी तथा अंग्रेजी में एक साथ विकसित किए जाएं ।

**हिन्दी हमारी
मातृभाषा है;
मात्र
एक भाषा
नहीं.**